L. C. BILL No. X OF 2023.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT, 2014.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक १० सन् २०२३।

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अंतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए । संक्षिप्त नाम।

(शा.म.मु.) एचबी १३०५—१ (१०६—०८-२०२३)

सन् २०१४ का महा. ६ की धारा ३५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३५ की, उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१४ का महा. ६।

" (३) लेखे, जब संपरीक्षित किए जाते है तब कार्यकारी परिषद द्वारा प्रकाशित किए जायेंगे और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा की एक प्रतिलिपि महा परिषद के समक्ष रखी जायेगी तथा एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी। राज्य सरकार, उसके द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय के संपरीक्षित वार्षिक लेखे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी। "।

सन् २०१४ का महा. ६ की धारा ३७ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३७ की, उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (२) विश्वविद्यालय अकादमिक वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर राज्य सरकार को उसपर साधारण परिषद के संकल्प के साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी । राज्य सरकार, उसे उनके अगले सर्वप्रथम सत्र में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी। "।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (सन् २०१४ का महा. ६) की धारा ३५ की उप-धारा (१) और (२), कार्यकारी परिषद के निदेशन के अधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखों को तैयार करने और वर्ष में कम से कम एक बार लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा ३५ की उप-धारा (३) यह उपबंध करती है कि, लेखे जब संपरीक्षित किए जायेंगे तब कार्यकारी परिषद द्वारा प्रकाशित किए जायेंगे तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखों की एक प्रतिलिपि साधारण परिषद के समक्ष रखी जायेगी और राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी। तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को ऐसे लेखा की एक प्रतिलिपि को प्रस्तुत करने और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष विश्वविद्यालय के संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं को रखने के लिए विनिर्दिष्ट समयावधि उक्त उप-धारा (३) में उपबंध नहीं है।

इसलिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष भीतर राज्य सरकार को उसपर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखाओं की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने तथा उसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए उपबंध करने के लिए उक्त धारा ३५ की उप-धारा (३) में संशोधन करना इष्टकर है।

२. उक्त अधिनियम की धारा ३७ की, उप-धारा (१), यह उपबंध करती है, कि कार्यकारी परिषद जैसा कि विनिर्दिष्ट करें ऐसी साधारण परिषद ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी। उक्त धारा ३७ की उप-धारा (२) यह उपबंध करती है कि, वार्षिक रिपोर्ट उसपर साधारण परिषद के संकल्प के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा और उसे राज्य सरकार उनके अगले सर्वप्रथम सत्र में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष उसे रखेगा। तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट समयावधि का उपबंध उप-धारा (२) में नहीं है।

इसलिए, अकादमिक वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के उपबंध करने के लिए उक्त धारा ३७ की उप-धारा (२) में संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ३१ जुलाई, २०२३।

चंद्रकांत (दादा) पाटील,
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्रि।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ३१ जुलाई, २०२३।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानपरिषद ।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई